कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

सूचना

शासकीय पत्रांकः प.17(1) शिक्षा–2/उपप्रधानाचार्य/2022 पार्ट, जयपुर, दिनांक : 30.06.2022 एवं 19.09.2022 द्वारा "उप प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति का अनुपात 50:50 किया जाए अथवा नहीं ?" के सम्बन्ध में विभागीय अभिमत से अवगत कराने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त क्रम में विभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार अभिमत प्रस्तुत किया गया है। निर्देशानुसार उक्त प्रतिवेदन विभागीय वेब–साईट पर एतद् द्वारा सार्वजनिक किया जाकर उक्त संबंध में दिनांकः 16.11.2022 तक सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

सुझाव प्रेषण हेतु निर्दिष्ट स्थान/पता :–
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

संबंधित पक्ष सूचित हों।

संलग्नः–यथोक्त।

(धर्मेन्द्र कुमार जोशी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

क्रमांकःशिविरा/माध्य/वरि/के–4/उप–प्रधानाचार्य/नियम संशो/21–22 दिनांकः09.11.2022

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर सुदृश्य स्थान पर अपलोड करवाने बाबत।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (डीपीसी)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रतिवेदन

शासकीय पत्रांक : प.17(1) शिक्षा–2/उपप्रधानाचार्य/2022 पार्ट, जयपुर, दिनांकः 30.06.2022 एवं 19.09.2022 द्वारा "उप प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति का अनुपात 50:50 किया जाए अथवा नहीं ?" के सम्बन्ध में विभागीय अभिमत से अवगत कराने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त क्रम में विभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा निम्नानुसार अभिमत प्रस्तुत किया गया हैः–

"माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष : 2021–22 की घोषणा संख्या : 440.0.02 (बजट वर्षः 2021–22 की चर्चा के दौरान दिनांकः 18.03.2021 को बिन्दु संख्या–69 पर की गई घोषणा 'हैडमास्टर, स्कूल व्याख्याता आदि की पदोन्नति सम्बन्धी समस्याओं का अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित कर समाधान किया जाएगा' की क्रियान्विति में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांकः 28.04.2022 (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक : 29.04.2022) द्वारा विभाग में उप–प्राचार्य के नवीन पद का संवर्गन किया गया, जिसमें शत–प्रतिशत पदों पर प्राध्यापक पद से पदोन्नति का प्रावधान रखा गया है। तदुपरान्त राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक : 22.07.2022 द्वारा उप–प्राचार्य के 12421 पद नवसृजित किए जा चुके हैं। उक्त नवसृजित उप–प्राचार्य पद पर पदोन्नति हेतु अभी तक कोई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है। अलबत्ता वर्ष : 2022–23 हेतु करीब 10,000 पदों के लिए उप–प्राचार्य पद पर प्राध्यापक सवंर्ग से डीपीसी की कार्यवाही प्रकियाधीन है। उक्त घोषणा के प्रथम बार क्रियान्वयन से पूर्व ही इसे संशोधित कर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने की मांग अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग से जुड़े संगठनों द्वारा निरन्तर की जा रही है। उक्त मांग के पक्ष एवं विपक्ष में विश्लेषणोपरान्त तुलनात्मक विवेचन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

क.सं.	100% पदोन्नति के पक्ष में तर्क	50% सीधी भर्ती एवं 50% पदोन्नति के पक्ष में तर्क
1.	चूंकि बजट घोषणानुसार हैडमास्टर तथा व्याख्याता संवर्ग की पदोन्नति सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित किए जाने की कवायद के तहत उप– प्राचार्य का नवीन पद सृजित किया गया है, जिसमें वर्षः 2021–22 की प्राचार्य डीपीसी उपरान्त शेष बचे समस्त प्रधनाध्यापकों को उप–प्राचार्य पद पर पदाभिहित किया जा चुका है, अतः उप–प्राचार्य के शेष बचे पदों को प्राध्यापक संवर्ग से डीपीसी	उप–प्राचार्य पद के 50% पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पूर्व में विभाग में प्रचलित पद प्रधानाध्यापक– माध्यमिक विद्यालय की तर्ज पर 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्राध्यापक पद पर कार्यरत युवा कार्मिकों को योग्यता के आधार पर विभाग में प्रशासनिक पद पर चयन का आधार मिलेगा, जिससे विभाग को उर्जावान, कार्यशील, सृजनशील एवं नवाचारी उत्साही युवा अधिकारी मिल सकेंगे। इससे विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के त्वरित निष्पादन को गति मिल सकेगी एवं

DRAFT
Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

	द्वारा भरा जाना है। शासन द्वारा 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती में भरे जाने की मांग स्वीकार किए जाने की स्थिति में पूर्वोल्लिखित बजट घोषणा की क्रियान्विति में व्याख्याता संवर्ग से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु आश्वासित अभ्यांश सीमित हो जाएगा।	नौजवान शिक्षकों में एक नवीन उत्साह का संचार होगा। वर्तमान व्यवस्था के तहत सीधी भर्ती के प्रथम पद प्राध्यापक से उप निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक जैसे वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच कर ही हो पायेगी। इसके उलट उप–प्राचार्य पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त युवा अधिकारी अपेक्षाकृत युवावस्था में वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत हो पायेंगे, जिससे विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन त्वरित गति से हो सकेगा।
2	उप–प्राचार्य का पद वेतन लेवल–14 (L–14) का पद होने के कारण स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य सेवा के एंट्री लेवल पद प्राध्यापक (L–12) से उच्चतर पद है। सामान्यतया विभिन्न विभागों में राज्य सेवा के एंट्री लेवल तक के पदो पर सीधी भर्ती का प्रावधान होता है। उक्तानुसार वर्तमान व्यवस्थानुसार अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक तथा प्राध्यापक स्तर तक के पदों पर ही सीधी भर्ती का प्रावधान तथा वरिष्ठ अध्यापक एवं प्राध्यापक पदों पर 50 प्रतिशत पदोन्नति के साथ–साथ 50 प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान तर्कपूर्ण एवं सुसंगत है।	राज्य में तकनीकी प्रकृति के अनेक विभागों में राज्य सेवा के एंट्री लेवल पद से उच्चतर पद पर भी सीधी भर्ती का प्रावधान मौजूद है, यथा– चिकित्सा विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इत्यादि। उक्तानुरूप ही स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती एवं चयन में व्यावसायिक योग्यता (बी.एड./डी.एल.एड इत्यादि) की अनिवार्यता के दृष्टिगत शैक्षणिक गुणवत्ता एवं योग्यता को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उप–प्राचार्य के पद पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान सर्वथा औचित्यपूर्ण है, क्योंकि पूर्ववर्ती व्यवस्था में भी उप–प्राचार्य के समकक्ष पद प्रधानाध्यापक–माध्यमिक विद्यालय हेतु 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान मौजूद था।
3	विभाग में वर्तमान में विद्यमान पदोन्नति के रेखीय प्रवाह (Linear Promotion Channel) की व्यवस्था अपेक्षाकृत तर्कपूर्ण एवं न्याय संगत है, जिसमें अध्यापक पद पर कार्यरत कार्मिकों को उसकी योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर सम्बन्धित विषय में वरिष्ठ अध्यापक एवं तत्पश्चात् प्राध्यापक पद पर पदोन्नति की व्यवस्था निर्मित की गई है। वहीं योग्यता के आधार पर वरिष्ठ	वर्तमान में विभाग के शैक्षिक संवर्ग में अध्यापक से अतिरिक्त निदेशक पद के मौजूदा शंक्वाकार पिरामिड में संवर्ग के निम्नतर पदों पर कार्यरत कार्मिकों के पदोन्नति के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उच्चतर पदों तक पहुंच पाना असंभव है। पूर्व में प्रधानाध्यापक – माध्यमिक विद्यालय के अनुरूप पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत कार्मिकों को नयी व्यवस्था के तहत सृजित उप–प्राचार्य पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा के

Rajasthan Education Department
DRAFT
सत्यमेव जयते

	अध्यापक एवं प्राध्यापक पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत कार्मिकों हेतु भी उनकी योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर पात्रतानुसार प्राध्यापक पद पर पदोन्नति की व्यवस्था मौजूद है। दूसरी ओर उन्हें योग्यता के अनुसार सम्बन्धित विषय में सीधी भर्ती द्वारा प्राध्यापक पद पर सीधे चयन के भी अवसर उपलब्ध हैं। अतः उच्च पदों पर पदोन्नति अवसरों की सीमितता अथवा सीधी भर्ती के अवसरों के अभाव की बात सही नहीं है।	माध्यम से चयन का विकल्प मिलने की दशा में उनके जिला शिक्षा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति के माध्यम से पहुंच पाने के रास्ते खुल जाएंगे। इससे विभाग में विभिन्न संवर्गो में पारस्परिक संघर्ष एवं कुंठा का शमन होगा तथा विभाग में अपेक्षाकृत सौहार्द्र का वातावरण निर्मित होगा, जिसमें शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक कार्मिक को अपनी योग्यता, अनुभव एवं श्रमशीलता के आधार पर खुली प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से कैरियर में प्रगति के अवसरों की सुलभता संभव हो सकेगी तथा निम्नतर पदों पर कार्यरत कार्मिकों की शिकायत एवं परिवेदनाओं का न्यायपूर्ण समाधान भी हो जाएगा।

उपुर्यक्तानुसार तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत कर निवेदन है कि संदर्भित प्रकरण में नीतिगत निर्णय शासन स्तर पर ही किया जाना उपयुक्त होगा।

Rajasthan Education Department
DRAFT
सत्यमेव जयते